INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 6.865 (SJIF 2023)

दैनिक भास्कर में प्रकाशित तीन तलाक के खबरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(Analytical Study of News of Triple Talaq Published in Dainik Bhaskar)

डॉ. आबिद रेज़ा
उप संपादक,
स्वतंत्र समय न्यूज़ पेपर,
एमपी नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686 DOI Link :: https://doi-ds.org/doilink/05.2023-13338157/IRJHIS2305007

सारांश:

प्रस्तुत शोध पत्रदैनिक भास्कर में प्रकाशित तीन तलाक के खबरों पर आधारित है। इसके आधार पर ही एक दृष्टि विकसित की गई है। इस पत्र में दंपति के उन अनछुए द्वंद्वों को उकेरने की कोशिश की गई है जिससे पाठक इस शोध पत्र में कुछ नए आयाम को जाने। पति-पत्नी के मध्य तीन तलाक से बनते-बिगड़तेरिश्ते को इस शोध पत्र में विवेचित की गई है। और आगे इस शोध पत्र इसके विभिन्न पहलुओं को बिन्दुवारजानेंगे।

बीज शब्द: तीन तलाक, दैनिक भास्कर, पति-पत्नी, सामाजिक संविदा, दंपति द्वंद्व, शरीयत, उच्च न्यायलय।

प्रस्तावना:

भारत में तीन बार तलाक देने वाली पद्धति वर्षों से चली आ रही थी,अपितु पहली बार इस प्रथा के खिलाफ शायरा बनो ने तीन तलाक प्रथा के खिलाफ उच्च न्याय में याचिका दायर कर इस कानून को खरीच करने की मांग की। शायरा बनो ने कहा कि यह त्वरित तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। यह महिलाओं को पोंगापंथी बनाने का पुरुषों का एक बड़ा हथियार है। इससे महिलाओं के मानवीय जीवन में हमेशा डर बना रहता है,जबकि 22 मुस्लिम देशों में पहले से तीन तलाक का प्रतिबंधित लगाया जा चुका है इसके बावजूद भी इस देश में महिलाएं अपनी अधिकार को प्राप्त नहीं कर पा रही है। भारत के संविधान अनुच्छेद14, 15 में महत्वपूर्ण विषय की व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि 'राज्य भारतीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के सामने सबको समान मानने अथवा कानून का समान संरक्षण मुहैया कराने से इंकार नहीं करेगा' और अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि 'राज्य किसी के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से

किसी के एक के आधार पर भेद-भाव नहीं करेगा'। सही हदीस इब्न अब्बास नज़लों अल्लाहों के सही वॉल्यूम 2 में बूक ऑफ डिवोर्स हदीस नंबर : 3491 में तीन तलाक के बारे में कहा गया है कि हजरत अबुबकर के दौर में तीन तलाक को एक ही माना जाता था और हजरत उमर के दौर में भी एक माना जाता था। इसके बाद भी अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे-दे तो उसका उसका तलाक हो जाता था,जबकि कुरान में इसका कोई संदर्भ नहीं है। इस प्रथा को एआईएमपीएलबी ने कहा था कि बेवजह धर्म में हस्तक्षेप है, जबकि मुस्लिम ओलेमाओं ने कहा थायह शरिया का हिस्सा नहीं है। भारतीय मुस्लिम महिलाओं के संगठन ने कहा था कि यह धर्म में मौजूद पितृसत्तामक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, अपितु इसके वजह से महिलाओं का घर द्वार टूट रहे हैं। महिलाएं असहाय हो रही है। कई महिलाओं ने माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर भी विरोध जताया था, जिसमें बीएमएमए की सह-संस्थापक नूरजहाँ साफिया नियाज़ जाकिया सोमण ने पत्र लिखकर विरोध जताया था। इसके अलावा पाँच महिलाओं ने भी जिन्होंने तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया था, जिसमें शायरा बानो, आफरीन रहमान, आतिया साबरी, गुलशन परवीन एवं इशरत जहाँ भी है।

तीन तलाक को लेकर महिलाओं को नारी गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा थाइसमें कोई अतिश्योक्तिनहीं है। चूँकि मुस्लिम समाज में महिलाओं को तलाक हो जाने के बाद उनका दैनिक जीवन दुष्कर हो जाता है और पुरुष इस प्रथा को इस आधुनिक युग में व्हाट्सएप्प संदेश, फोन एवं पत्र से लिखर भेज देते हैं,जबकि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। जबकि इसका विरोध धर्म के बुद्धजीवी लोगों द्वारा होना चाहिए था और जबकि इसका विरोध हर धर्म की महिलाओं एवं पुरुषों ने किया है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में काफ़ी ख़राब हैऔर उसमें अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है,तो उसके लिए उससे बुरा और क्या हो सकता है क्योंकि उस स्थिति में उसके माइके वाले भी नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी शादी के बाद रहे। ऐसी स्थिति में यह धर्म के बजाय नारी गरिमा अस्मिता का प्रश्न है। जैसा हम जानते हैं भारतीय संस्कृति में भारत के अधिकतर क्षेत्र में पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में पुरुषों का बोलबला है जिसके कारण से पुरुषों का आर्थिक क्षेत्र पर नियंत्रण है। इस कारण से समाज में महिलाओं की स्थिति बदसे-बत्तर होती है।

प्रस्तुत शोध पत्र के उपकल्पना में कुछ ऐसे तत्वों को शामिल किया गया है, जो तीन तलाक से संबन्धित है। इस शोध पत्र में परिकल्पना में उन्हीं बिन्दु ओं को रखा गया है जो तलाक सेसंबन्धित है। परिकल्पना का अर्थ ही होता है सच के करीब तक पहुँचना।

प्रस्तुत शोध-पत्र की परिकल्पना में निम्नलिखित है :-

(1.) क्या तीन तलाक के मुद्देको भारतीय दैनिक भास्कर में जगह दी गई है?

(2.) क्या तलाक के अधिकतर मतभेद सामाजिक, आर्थिक,सांस्कृतिक पृष्टभूमिके कारण उभरते हैं?

(3.) क्या मुस्लिम महिलाओं' के अधिकारों को लेकर मीडिया सजग हुआ है?

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित है :-

(1.) भारतीय दैनिक भास्कर समाचार में तीन तलाक के मुद्दों का अध्ययन करना।

(2.) मुस्लिम महिलाओं में तलाक से होने वाले मतभेद सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्टभूमि के कारणों का अध्ययन करना।

(3.) मुस्लिम महिलाओं' के अधिकारों को लेकर मीडिया सजगता का अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोध प्रविधि निम्न है :-

- अंतर्वस्तुविश्लेषण
- विवरणात्मक

शोध की प्रासंगिकता:-

मीडिया का बोलबालावर्षों से हैं। संचार क्रांति केइस युग में मीडिया माध्यमों से कोई चीज अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ संचारमाध्यम नहीं पहुँच हो पाई है वहाँ पर आज मोबाइल, व्हाट्सएप्प एवं तमाम साधनोंकी पहुँचहुई है। क्योंकि संचार माध्यम ने मानव प्रजाति के विभिन्न पहलुओं को रेखांकितकिया है। मीडिया ने देश-दुनियाँ, समाज, परिवार, सरकार, तीन तलाक के विभिन्न पहलुओं को बताने में मदद कियाहै। यह संचार क्रांति केही आज़ के दौर में कोई व्यक्ति समाचार से वंचित नहीं है। जिस प्रकार मुस्लिम समाज में होने वाली'तीन तलाक' की घटनाएँ हुई है। समस्या को दूर करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिकाहोती है। इसके कारण ही मोदी सरकार ने अपनी महत्ती भूमिका निभाया। एक तरह से यह सभी मुस्लिम महिलाओं के लिएलाभकारी हुआ। छोटी-छोटी बातों के वजह से जिन महिलाओं का तलाक हो जाता था उनके लिए यह कानून अच्छा हुआ ही इसके साथ ही उन महिलाओं के साथ भी न्याय हुआ जो पुरुष कई पत्नियों से शादी की इच्छा रखते हैं वो अब नहीं हो पाएगा।

प्रस्तुत शोधपत्र में द्वितीय प्रदत्त का प्रयोग किया गया है। इसके विश्लेषण के लिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को लिया गया है। इस पत्र में गुणात्मक,मात्रात्मकएवं मिश्रित विधिका प्रयोग किया गया है। वर्ष 2017 के दैनिक भास्कर समाचारपत्र में प्रकाशित तीन तलाक से संबन्धित खबरोंका विश्लेषणात्मक अध्ययन।

क्र. सं.	समाचारपत्र का वर्ष एवं तिथि	ख़बर का शीर्षक	समाचारपत्र की प्रकृति	प्रकाशित ख़बर की पृष्ट सं.	प्रकाशित खबरों की शब्द सं.

1.	12 मार्च, 2017, (नागपुर)	तीन तलाक के मुद्दे और सौ बाहरी प्रत्याशियों ने मोदी को दिलाई 325 सीटें	राजनीति	2	15

विश्लेषण:

यूपी के विधान सभा में भाजपा को 311 सीटें प्राप्त हुई थी। जिसमें तीन तलाक के मुददें को असरकारी बताया गया। कारण यह था बीजेपी ने महिलाओं के द्वोयम दर्जे से मुक्त कराने का कार्य किया। इससेसाफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने महिलाओं को ध्यान अपने ओर खींचा क्योंकि यह मुद्दा लंबे समय से अटका हुआ था जिसको वर्ष2019 में ख़त्म करने का कार्य किया है। जिससे महिलाओं के आम जन जीवन में किसी तरहकी कोई समस्या पैदा नहीं हो।

2.	31 मार्च, 2017, (नागपुर)	तीन तलाक की वैधता पर अब संविधान पीठ करेगी फैसला।	न्यायालय समाचार	1	120

विश्लेषण: उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को लगातार संविधान पीठ के सामने रखा है जिससे उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अपने संज्ञान में लिया, जिससे समाज का उद्धार हो सके। जिसकी अगली सुनवाई न्यायालय ने आदेश दिया है कि यह 11 मई से शुरू होगी।

3.	2 अप्रैल, 2017 (नागपुर)	शादी के आठ दिन बाद पत्नी को पोस्टकार्ड पर लिखकर भेजा तीन तलाक, गृफ्तार	आपराधिक समाचार	10	144

विश्लेषण:

तीन तलाक से होने वाली घटना आम जनजीवन को शर्मसार करता है, कैसे यह शर्मसार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पोस्ट कार्ड पर तीन तलाक लिखा हुआ है। यह शरियत के खिलाफ है और असामाजिक भी है क्योंकि इससे समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है जिससे जीवन मेंतमाम तरह के कलह को जन्म दे रहा है। जिस रिश्ते को जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है आज उस रिश्ते में तुच्छ कारण हेतु तलाक लिख कर संबंध विच्छेद किया जा रहा है। यह परिघटना दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन को ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोग मज़ाक समझ लिए हैं।

4.	2 अप्रैल, 2017(नागपुर)	तलाक के बाद भी हर साल फैमिली फोटोशूट के लिए मिलते हैं, कहते हैं- तलाक हम दोनों का हुआ है, हमारे बेटे का नहीं	सामाजिक	3	357

विश्लेषण:

शीर्षक में जिस तरह लिखा हुआ उसके मुताबिक यहस्पष्ट हो जाता है कि बच्चे के कारण पत्नी-पति एक दूसरे से मिलते हैं और नियति यह दर्शाता है कि पति पत्नी के मध्य जिस तरह का रिश्ता होता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है किसी समाचार पत्र के लिए एक घटना है चूँकि तलाक के बाद पूर्व में रहे पति पत्नी एक दूसरे को मिलने को मजबूर करतें हैचूँकि बच्चे के कारण भावनाओं का संगम होता है। विक्टोरिया बाल्डविन(फॉटोग्राफर) सेना में हैं और आलास्का में रहती है जबकि एडम डायसन कैरोलाइना में रहते हैं। उनका कहना इस तलाक का बच्चे पर न पड़े इसलिए उनका एक स्थान पर होना उनके लिए बेहद अहम रखता है। यह बहुत ही मर्म स्पर्शी भावना है समाज और मीडिया के लिए।

5.	24 अप्रैल, 2017(नागपुर)	दो साल बाद तलाक, कोर्ट ने कहा-शौहर का फैसला अवैध	न्यायालय समाचार	12	220

विश्लेषण: एक साथ रहने के बाद तलाक हो जाना दुनियाँ का सबसे बड़ा कहर है चूँकि पति पत्नी के सम्बन्धं के कारण बच्चा पैदा लेता है लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पर तलाक की परिघटना घटती है इससे साफ जाहिर होता है कि अचानक किसी का तीन तलाक हो जाना। यह पूर्ण रूप अधार्मिक है जिससे इससेगैर इस्लामिक करार दिया गया है। ऐसे मसलों में शरीयत और न्यायालय को अपनी अहम भूमिका निभाना चाहिए। ऐसे में अगर कोई कहीं जाता है तो इससे गंभीरता से इस पर कार्य करना चाहिए।

6.	30 अप्रैल, 2017 (नागपुर)	तीन तलाक पर राजनीति नहीं होने दें: मोदी	सामाजिक	1	393

विश्लेषण:

देश भावी अदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक सभा में कहा था कि इस्लाम धर्म के प्रबुद्ध लोगों को इसमें आगे आना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक कार्य है और इस पर चढ़ बढ़ कर कार्य करना चाहिए।

7.	2 मई, 2017(नागपुर)	कोर्ट ने स्काइप पर बयान ले मंजूर किया तलाक	न्यायलय समाचार	1	379

विश्लेषण:

उच्च प्रोफ़ाइल क्लास के मामले में दंपति का वैवाहिक जीवन रोड़ा बनता जा रहा था, जिसमें अदालत ने पत्नी को लंदन से कनेक्त किया और पति को सिंगापूर से। दोनों के मामले को सुनकर न्यायलय ने अपनी बिचौलिया का भूमिका निभाया। ऐसे मामले में न्यायलय भी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि यह दोनों व्यक्ति का आपसी मामला है।

8.	4 मई, 2017(नागपुर)	केन्द्रीय मंत्री नक़वी की बहन लड़ेगी तलाक पीड़ितों की लड़ाई	सामाजिक	3	142

विश्लेषण:

महिलाओं को अपने रूढ़िवादी परंपरा से आज़ादी पाने की आवश्यकता है चूँकि तीन तलाक में अक्सर महिला ही प्रताड़ित होती है कहने का तात्पर्य है कि वह आर्थिक तंगी से उसे जूझना पड़ता है। तलाक पीड़िता मामले में इस बार नक़वी की बहन ने इस बीड़ा को उठाने का कार्य किया है। यह पूरी तरह से सामाजिक मामला है। इस पहल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

9.	10 मई, 2017(नागपुर)	इलहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, संविधान से ऊपर नहीं है पर्सनल लॉ बोर्ड	न्यायलय समाचार	1	327

विश्लेषण:

तीन तलाक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि अदालत से ऊपर कोई नहीं है। इससे कैसे निभाना है। इससे बेहतर आता है जिससे विकट परिस्थितियों में संभालने आते है।

10.	12 मई, 2017(नागपुर)	तीन तलाक मुस्लिमों का धार्मिक मामला निकला तो नहीं देंगे दखल: सूप्रीम कोर्ट	न्यायलय समाचार	1	500

विश्लेषण:

प्रस्तुत समाचार पत्र में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एतिहासिक सुनवाईकरते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं ही नहीं जबकि इससे ज़ोर जबरन बनाया जा रहा है। अगर धार्मिक भावना से संबन्धित मामला निकला तो नहीं देंगे दखल। क्योंकि यह सामाजिक भावना ठेस पहुँचाने जैसा है।।

11.	13 मई, 2017(नागपुर)	जो काम खुद की नजर में पाप है क्या कानून में वह वैध हो सकता है?	न्यायलय समाचार	1	456
विश्लेषण: जिस दंपति के बीच में तलाक शब्द को सबसे बुरा माना गया है वो तो पहले धार्मिक हिस्सा हो ही नहीं सकता। यानि जिस शब्द का नाम लेने से संबंध विच्छेद हो रहा है । उसेकानूनी वैधता नहीं प्रदान की जा सकती। और यह कार्य ख़ुदा की नज़र में भी पाप है। इससे रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म करने की आवश्यकता है।					
12.	9 जुलाई 2017	पत्नी को मनोरोगी बताकर मांगा तलाक, याचिका हुई खारिज	सामाजिक	3	192
इस तरह की मानसिकता का प्रतिरोध होना चाहिए। चुकी वैवाहिक प्रक्रिया में आने के बाद इस तरह की टिप्पणी मेरे दृष्टिसे सार्थक नहीं है। चुकी यह समाज के पवित्र विश्वास प्रतिरोध हो रहा है।					
13.	23 अगस्त, 2017(नागपुर)	तीन तलाक असंवैधानिक, तीन-दो के बहुमत से सूप्रीम कोर्ट बेंचने दिया फैसला	न्यायलय समाचार	1	112
विश्लेषण : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनललॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना तथ्यामः अंतर्वस्तु रखना चाहिए। जिससे एक बेहतर रास्ता कायम हो सके और इस तीन तलाक जैसी कुकृत्य से सावधानी एवं इसकी प्रक्रिया से मुस्लिम समाज वाकिफ हो सके। साथ ही साथ इस समाज का भला हो सके।					
14.	23 अगस्त, 2017(नागपुर)	इस्लाम ही महिलाओं का सुरक्षा कवच बना	सामाजिक	4	14
विश्लेषण : शिबा असलम फहमीनारिवादी मुस्लिम लेखिका ने बताया कि इस मसले की शुरूआत 2002 में किया था लेकिन बाद में 2007 में बीएमएमए (भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन) इस मुहिम में जुड़ गया। अंततः नारिवादी चेतना जीत होती है।					
15.	23 अगस्त, 2017(नागपुर)	किसी के शौहर ने स्पीड पोस्ट से, किसी ने फोन पर तो किसीने सादे कागज पर तीन तलाक लिखकर तोड़ लिया रिस्ता	अपराधिक मामला	2	1240
विश्लेषण: इस्लाम में तीन तलाक का तरीका हजरत उमर के दो साल पहले, हजरत अबुबकर के जबाने में इसका इस्तेमाल को एक ही माना गया था।					

निष्कर्ष :

'दैनिक भास्कर में प्रकाशित तीन तलाक की खबरों को सही तरीके से विवेचितकिया गया है, जिसमें मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त माह में से मई माह में सबसे ज्यादा खबरें प्रकाशित हुई है।तीन तलाक का संदेश मुस्लिम महिलाओं में ग़लतफ़हमियों को दूर करने के उद्देश्य से है। इस समाचार पत्र के सभी खबर सामाजिक है जिसमें उच्च न्यायलय भारत का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर इस संस्था पर महिलाओं का विश्वास है। इसमेंबैठे लोगों ने शरीयत का अध्ययन किया,तो ज्ञात हुआ कि कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं ज्ञात हुआ है जहाँ पर त्वरित तलाक की बात की गई गई है, बल्कि तलाक-ए-अहसन एवं तलाक-ए-हसन का जिक्र किया गया है। शरीयत के प्रबुद्ध लोगों ने इस्लामिक साहित्यों की

ख़ोज किया तो ज्ञात कि एक बार में तीन तलाक का कहना यह शरीयत के मुताबिक गैर इस्लामिक है। पाक कुरान में इससे संबन्धित ऐसी कोई आयत नहीं है,जहां पर मुस्लिम को तीन तलाक के बारे में तफसीर किया गया हो। इससे यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने अपने 3:2 के बहुमत से एतिहासिक फैसला सुनाया, जो बिल्कुल ही दुरुस्त फैसला था। 22 मुस्लिम देशों में तीन तलाक पर प्रतिबंधहै। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों एवं न्यायाधीशों ने भी इसका आधार बनाया है। दैनिक भास्कर में त्वरित तीन तलाक के मुद्दे को उठाने से मुस्लिम महिलाओं में विश्वास पैदा हुआ। हाँ, एक बात यह भी है कि दैनिक भास्कर में तलाक के कितने रूप हैं। इसकी कही विवेचना नहीं दी गई है। इसके कारण भी शरीयत की सही जानकारी नहीं ज्ञात हो पायी। जबकि तीन तलाक के खबरों को लिखने पत्रकार को इसकी जानकारी होना चाहिए था और समाचार में कौन से तलाक पर विमर्श हो रही है इसकी भी सही जानकारी देनी गई है जबकि शरीयत के मुताबिक तलाक-ए-बिद्दत है। प्रिंट मीडिया में तीन तलाक के मुद्दे का सुर्खियों में रहने के कारण मुस्लिम महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। एक बार में तीन तलाक कहने से मुस्लिम महिलाएं भयभीत में रहती थीं। यह कहीं-न-कहीं पुरुषवादी मानसिकता को दर्शाता था। महिलाओं को धार्मिक किताबों में समानता का दर्जा दिया गया है लेकिन व्यावहारिक तौर पर पुरुषों के खरे नहीं उतरने के कारण मुस्लिम महिलाएं त्वरित तलाक से डरीहुई रहती थी। मुस्लिम समाज में कई पंथ है आपसी मतभेद होने के कारण महिलाओं के बीच समानता का व्यवहार नहीं हो पा रहाहै। कई धार्मिक गुरुओं का अपना मत है जैसे : सुन्नी, हनफी धर्म गुरुओं का मानना है कि त्वरित तलाक से होने वाला तलाक हो जाता है, लेकिन यह तलाक गैर इस्लामिक है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह शरीयत के खिलाफ है, यह नहीं होना चाहिए। तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध था।

तीन तलाक की समझ धर्मगुरु से,मीडिया से एवं सामाजिक चर्चा से विकसित हुई है। दैनिक भास्कर ने सिर्फ उन खबरों को जगह दिया, जो अदालती था एवं तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं से संबन्धित था । दैनिक भास्कर में तीन तलाक से संबंधित विषय पर पत्रकारों की कम जानकारी थीं इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दैनिक भास्कर में सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के उन्हीं मुद्दों को जगह देने का कार्य किया गया जो मुस्लिम महिला पीड़ित थी। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं दिया गया। तीन तलाक से होने वाली समस्याएँ जैसे : समाजिक बहिष्कृत, आर्थिक रूप से असहाय महसूस करना एवं कई अन्य कारण है।

दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने आम लोगों को संजीदा तरीके सेजानकारी पेश की है। इसका प्रभाव एक बड़े जनमानस पर पड़ा। गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रभाव की वजह से तीन तलाक की खबरें सुर्खियों में रही।

मुस्लिम महिलाओं के घर में दीनी तालीम पर ज्यादा ज़ोर दिया जाता है,और गैर दिनी तालिम नहीं होने के कारण सामाजिक समन्वयता कायम करने में थोड़ी समस्या होती है। इससे यह कहा जा सकता है कि आज़ मुस्लिम महिलाएँ मानव

अधिकार की दृष्टि से तीन तलाक की समस्या को समझने लगी है। इसका खुलासा मीडिया ने अपने मंच से किया। धार्मिक रूढ़िवादिता से निजात में मीडिया की भूमिका रही है। तीन तलाक को समझने के लिए मीडिया ने सामाजिक पहलुओं को जनमानस समर्थन से लाने का प्रयास किया। यह मुस्लिम महिलाओं के हक में था। मीडिया की भूमिका निष्पक्ष थी। धार्मिक कानून के जानने वालों को यह दायित्व होना चाहिए कि महिलाओं के अधिकार के बारे में निष्पक्ष एवं सही जानकारी दे बजाय पहेली के। जिससे मुस्लिम में महिलाओं में एक स्पष्ट अवधारणा बने, जिससे उनके जीवन में बदलाव हो। तीन तलाक को केंद्र में रखकर दैनिक भास्कर ने जो समाचार प्रकाशित किया उसके लिए आपसी मतभेद, पारिवारिक समस्या, पति का दूसरी स्त्री से संबंध को आम जनमानस में लाने का कार्य किया। हाँइससे यह कहा जा सकता है कि दैनिक भास्कर में समाचार पत्र ने महिला न्याय को दिलाने में अपना अहम भूमिका निभाई गयी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हसनैन, नदीम. (2004). समकालीन भारतीय समाज. भारत बुक सेन्टर: लखनऊ.
2. डॉ. फरजाना अमीन आज़ाद. (2005). मुस्लिम पुरुष पोषक या शोषक. जयपुर: संघी प्रकाशन.
3. ताराचन्द, अनुवाद सुरेश मिस्र (2006). भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.
4. डॉ. स.एमअल-दर्श. (2006). मुस्लिम वोमेंसड्रेस हिजाब ऑर निकाब. नई दिल्ली: मिल्लत बूक सेंटर
5. अजराखानम. (2013). मुस्लिम बैक वार्ड क्लाससेस अ सोशललॉजिकल पर्स्पेक्तिव. नई दिल्ली: सेज़ पब्लिकेशन.
6. रॉय, असीम. (2006). इस्लाम इन हिस्टोरी एण्ड पोलटिक्स पर्स्पेक्तिव फ्राम साउथ एशिया. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड प्रेस.
7. रॉबिंसन, फ्रांसिस. (2007). इस्लाम साउथ एशिया एण्ड. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवेर्सिर्ट प्रेस
8. रॉबिंसन, फ्रांसिस. (2015). इस्लाम एण्ड मुस्लिम हिस्टोरी इन साउथ एशिया. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवेर्सिर्ट प्रेस.
9. अनुवाद मो. अलीम, हकीम सैयद जिल्लुर रहमान. (2013). हकीम अजमल खाँ. नई दिल्ली: नेशनल बूक ट्रस्ट, इंडिया.
10. इकबाल अहमद. (2014). पैगम्बर हजरत मुहम्मद जीवन और मिशन. नई दिल्ली: लोक भारती प्रकाशन.
11. मुशिरूलहसन, मारग्रिटपरनौ. (2005). रिज़नल लाईजिंग पान-इस्लामिज़्म. नई दिल्ली: मनोहर पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर
12. सहगलममता, शेरजंग, निर्मला द्वारा अनुवादित. (2007). वैवाहिक विवाह कानून, सलाहकरिता और समाधान. नई दिल्ली: राधाकृष्ण.
13. सं. सुनीलभार्गव, विमला शर्मा. (2002). हमारे अधिकार और कानून तलाक. नई दिल्ली: विधानिधि.

14. गौर सं. पद्मा, श्रीवास्तव, नीलम. (2002). हमारे अधिकार और कानून इस्लामीशादी कानून नयी दिल्ली: अरुणोदय प्रकाशन.

15. पीज, ऐलन+बारबरा. (2001). पुरूष क्यों नहीं सुनते और महिलाएँ क्यों नहीं समझती भोपाल: मंजुलपब्लिशिंग हाउस.

16. कश्यप, सुभाष. (2012). हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि नयी दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत. अनुच्छेद-14,15,16,17